

**म.प्र. भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, भोपाल**  
आदेश—पत्रिका

कार्यवाही की तारीख,	आदेश														
11.7.19	<p style="text-align: center;"><b>पंजीकृत परियोजना की वापसी</b></p> <p>प्राधिकरण के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई परियोजना की वापसी के संबंध में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 8 जुलाई 2019 को विचार किया गया। परियोजना की वापसी के प्रकरणों के परीक्षण संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं –</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1— परियोजना वापसी का कारण क्या है ?</li> <li>2— वापसी का आवेदन पंजीयन की वैधता अवधि के दौरान प्राप्त होना अपेक्षित है।</li> <li>3— संप्रवर्तक द्वारा पूर्व त्रैमास तक त्रैमासिक विवरणी अद्यतन प्रस्तुत की गई हो।</li> <li>4— यदि प्रोजेक्ट में कोई बुकिंग नहीं ली गई है तो संप्रवर्तक बुकिंग न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करें। शपथ पत्र में भविष्य में परियोजना में बुकिंग या विज्ञापन के पूर्व पंजीयन की कार्यवाही पुनः करने का आश्वासन हो।</li> <li>5— यदि प्रोजेक्ट में बुकिंग ली गई है तो संप्रवर्तक आवंटितियों की ब्याज सहित राशि वापस करें और शपथ पत्र पर निम्नलिखित तालिका में विवरण दें –</li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>आवंटी का नाम</th> <th>प्राप्त राशि</th> <th>प्राप्ति दिनांक</th> <th>वापस की गई राशि</th> <th>राशि वापसी का दिनांक</th> <th>आवंटी का पता व ईमेल</th> <th>आवंटी का दूरभाष क.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>6— पंजीकृत परियोजना के वापसी का अनुमोदन होने पर पूर्व में जमा किया पंजीयन शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।</li> </ol> <p style="text-indent: 40px;">सचिव, रेरा उपरोक्त दिशा निर्देश प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रसारित करें।</p>	आवंटी का नाम	प्राप्त राशि	प्राप्ति दिनांक	वापस की गई राशि	राशि वापसी का दिनांक	आवंटी का पता व ईमेल	आवंटी का दूरभाष क.							
आवंटी का नाम	प्राप्त राशि	प्राप्ति दिनांक	वापस की गई राशि	राशि वापसी का दिनांक	आवंटी का पता व ईमेल	आवंटी का दूरभाष क.									
सचिव															